भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

(आईएस/आईएसओ 9001:2015 प्रमाणित संगठन)

भादूविप्रा को विभिन्न आईसीटी आधारित समाधान प्रदान करने के लिए

एप्लिकेशन सर्विस प्रोवाइडर्स का पैनल बनाने

के लिए रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) का निमंत्रण

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
महानगर दूरसंचार भवन (जाकिर हुसैन कॉलेज के पास)
जवाहरलाल नेहरू मार्ग (ओल्ड मिंटो रोड)
नई दिल्ली: 110 002

बोलीदाता के हस्ताक्षर

1. परिचय

1.1 भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) की स्थापना 20 फरवरी, 1997 से संसद के एक अधिनियम द्वारा की गई थी, जिसे भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 कहा जाता है, दूरसंचार सेवाओं को विनियमित करने के लिए की गई थी, जिसमें दूरसंचार सेवाओं के लिए टैरिफ का निर्धारण भी शामिल था, जो पहले केंद्र सरकार में निहित था।

1.2 भादूविप्रा का मिशन देश में दूरसंचार के विकास के लिए ऐसी परिस्थितियों का निर्माण और पोषण करना है जो भारत को उभरते वैश्विक सूचना समाज में अग्रणी भूमिका निभाने में सक्षम बनाएगी। भादूविप्रा के मुख्य उद्देश्यों में से एक निष्पक्ष और पारदर्शी नीति वातावरण प्रदान करना है जो एक समान स्तर के अवसर क्षेत्र को बढ़ावा देता है और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा की सुविधा प्रदान करता है। भादूविप्रा उपभोक्ताओं को अच्छी सेवा सुनिश्चित करने के लिए मानकों की निगरानी और अनुपालन भी सुनिश्चित करता है।

1.3 कार्यात्मक सुविधा के लिए, भादूविप्रा ने अपनी गतिविधियों को छह व्यापक कार्यक्षेत्रों नामतः एनएसएल, बीबी एंड पीए, बी एंड सीएस, एफ एंड ईए, क्यूओएस, उपभोक्ता मामले और आईटी में विभाजित किया है। एम-गवर्नेंस, ई-गवर्नेंस, डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटीज की नीतियों के कारण सरकार, आदि, एम2एम और इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी) आदि से जुड़े आईसीटी प्लेटफॉर्म पर आधारित सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला की मांग हाल के दिनों में कई गुना बढ़ गई है। आने वाले वर्षों में एम2एम और आईओटी के अन्य अनुप्रयोगों के अलावा ई/एम-गवर्नेंस, डिजिटलाइजेशन और स्मार्ट सिटी सॉल्यूशंस के क्षेत्रों में एक बड़ी उछाल देखने की संभावना है। शासन और नागरिक सेवाओं में सुधार के लिए मुख्य रूप से प्रौद्योगिकी आधारित सेवाओं पर ध्यान केंद्रित करने वाली पहल पर सरकार के जोर के मद्देनजर, भादूविप्रा ने आईसीटी और ई/एम-गवर्नेंस सेवाओं के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर विस्तार की परिकल्पना की है।

1.4 तदनुसार, भादूविप्रा ने दूरसंचार/प्रसारण क्षेत्र में अनुकूलित आईसीटी आधारित समाधान प्रदान करने की क्षमता रखने वाले एप्लिकेशन सेवा प्रदाताओं (एएसपी) / आईटी सॉल्यूशंस प्रदाताओं से प्रस्ताव आमंत्रित करता है जो नए परिकल्पित क्षेत्रों में भादूविप्रा के साथ काम करने के इच्छुक हैं। एप्लिकेशन सर्विस प्रोवाइडर्स (एएसपी)/आईटी सॉल्यूशन प्रोवाइडर्स के पास मोबाइल, डेटा सेंटर सेवाओं और ओपनसोर्स तकनीकों का उपयोग करते हुए, अत्याधुनिक समाधानों की अवधारणा, विकास, परीक्षण, कार्यान्वयन और समर्थन करने के लिए विशेष क्षेत्र ज्ञान होना चाहिए। एएसपी के पास टर्न-की परियोजनाओं को संभालने, सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन के विकास और कार्यान्वयन, डिजाइनिंग और अवधारणा प्रणाली, डेटाबेस प्रबंधन, क्लाउड/डेटा सेंटर प्रशासन, क्लाउड माइग्रेशन, मोबाइल एप्लिकेशन, नेटवर्क इंस्टॉलेशन / कॉन्फ़िगरेशन / प्रबंधन, डेटा एनालिटिक्स के साथ विजुअलाइज़ेशन आदि का अनुभव होना चाहिए। अवसर की खोज, संकल्पना/समाधान डिजाइन करना, परियोजना मूल्यांकन, अध्ययन रिपोर्ट तैयार करना, परियोजना निगरानी, सॉफ्टवेयर और उसका प्रबंधन करने की जिम्मेदारी पैनल में शामिल बोलीदाता यानी एप्लिकेशन सर्विस प्रोवाइडर (एएसपी) / आईटी सॉल्यूशन प्रोवाइडर्स की होगी।

2. ईओआई का दायरा

2.1 भादूविप्रा अपनी ई-गवर्नेंस पहल के एक हिस्से के रूप में निजी क्षेत्रों की भागीदारी के साथ आईटी सॉल्यूशंस शुरू करना चाहता है। यह ईओआई विभिन्न विक्रेताओं को शॉर्टलिस्ट करने के लिए भादूविप्रा

बोलीदाता के हस्ताक्षर

की व्यक्त आवश्यकता के जवाब में है जैसा कि इस ईओआई में बताया गया है। इसका उद्देश्य विक्रेताओं को एप्लिकेशन सेवा प्रदाता/आईटी समाधान प्रदाता (बाद में एएसपी के रूप में संदर्भित) के रूप में सूचीबद्ध करना है।

2.2 ईओआई का उद्देश्य निम्नलिखित शर्तों पर पैनल में शामिल करने के लिए तकनीकी और डोमेन ज्ञान के आधार पर विक्रेताओं का मूल्यांकन और चयन करना है-

I. भादूविप्रा की आवश्यकताओं के जवाब में एएसपी द्वारा विकसित अनुकूलित सॉफ्टवेयर/समाधानों पर सभी अधिकार भादूविप्रा के पास होंगे। एएसपी कार्यान्वयन की गुणवत्ता और उसके कार्यान्वयन के सेवाओं के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा।

II. समाधान का विकास ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म पर होगा और ऐसे सभी विकासों का सोर्स कोड भादूविप्रा को प्रदान किया जाएगा और भादूविप्रा द्वारा इंगित निर्दिष्ट स्थान पर संग्रहीत किया जाएगा; और संपूर्ण स्रोत कोड का स्वामित्व भादूविप्रा के पास रहेगा।

III. मौजूदा समाधानों (ऐप/पोर्टल) को बनाए रखने के लिए, एएसपी भादूविप्रा की आवश्यकता के अनुसार समाधान को कॉन्फ़िगर, परिवर्तित कर सकते हैं। एएसपी भादूविप्रा को समाधान के नए परिवर्तनों/विशेषताओं की रिपोर्ट करेंगे। एएसपी बग फिक्सिंग, अपडेट और सॉफ्टवेयर के अगले रिलीज के लिए जिम्मेदार होगा।

IV. विस्तृत भूमिकाएं और जिम्मेदारियां और नियम और शर्तें संबंधित परियोजना के अंतिम समझौते का हिस्सा होंगी।

V. एएसपी को परियोजना मूल्यांकन, सिस्टम अध्ययन, आवश्यकता एकत्रीकरण, तकनीकी दस्तावेज तैयार करना, सॉल्यूशन डिजाइनिंग, विकास, परीक्षण, कार्यान्वयन, रखरखाव, नई तकनीकों/प्रक्रियाओं/पद्धतियों की खोज, स्टेजिंग पर्यावरण को संभालने, उत्पादन पर्यावरण और क्लाउड प्रशासन करने की आवश्यकता होगी।

VI. एएसपी के समाधान सामान्य रूप से भादूविप्रा की बदलती जरूरतों, बदलती प्रौद्योगिकियों और बदलते नियामक वातावरण को पूरा करने के लिए सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन को बेहतर करने और बढ़ाने में सक्षम होना चाहिए।

VII. ई-गवर्नेंस, एम-गवर्नेंस और एम2एम समाधानों में आम तौर पर ऐसे उपकरण भी शामिल होते हैं जिन्हें प्रबंधित करने की आवश्यकता होती है (प्रावधान, डी-प्रावधान, निलंबन, नियंत्रण, समस्या निवारण, परीक्षण, कनेक्शन आईडी का नक्शा आदि)। इस प्रकार, एएसपी जहां कहीं भी आवश्यक हो, ऐसे सभी उपकरणों के अलावा हार्डवेयर के साथ-साथ सॉफ्टवेयर प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होगा। एएसपी को सभी हार्डवेयर उपकरणों का संचालन और प्रबंधन करना होगा।

VIII. एएसपी संगठन को डिजिटल समाधान प्रदान करने में भादूविप्रा के उपलब्ध बुनियादी ढांचे के इष्टतम उपयोग की संभावना तलाशेगा।

IX. एएसपी को अपने स्वयं के आईटी संसाधनों के साथ भादूविप्रा में डेवलपर/सपोर्ट/मॉनिटरिंग टीम की प्रतिनियुक्ति करनी पड़ सकती है या अपने स्वयं के कार्यालय से सहायता प्रदान करने की आवश्यकता हो सकती है।

X. एएसपी को परियोजना प्रबंधन इकाई को परियोजना के रूप में स्थापित करने की आवश्यकता हो सकती है।

XI. ये विशेषताएं सांकेतिक हैं और संपूर्ण नहीं हैं। प्रस्तावित किए जाने वाले सॉफ़्टवेयर/सेवाओं का कोई अन्य विवरण भी भादूविप्रा द्वारा अनुमोदन के बाद संबंधित एएसपी को प्रदान किया जा सकता है।

XII. भादूविप्रा इस ईओआई के माध्यम से 10 एएसपी तक को सूचीबद्ध करने का इरादा रखता है। हालांकि, भादूविप्रा के पास पैनल में शामिल किए जाने वाले एएसपी की कुल संख्या को बढ़ाने या घटाने का अधिकार सुरक्षित है।

2.3 काम का पुरस्कार

I. कार्य सौंपने के लिए, विस्तृत अनुरोध प्रस्ताव (आरएफपी) को पैनल में शामिल एएसपी के बीच मंगाया जाएगा।

II. तकनीकी मूल्यांकन समिति तकनीकी प्रस्ताव का मूल्यांकन करेगी और योग्य एएसपी को शॉर्टलिस्ट करेगी। इसके अलावा, वित्तीय मूल्यांकन समिति तकनीकी रूप से योग्य पैनल में शामिल एएसपी की वित्तीय बोलियों का मूल्यांकन करेगी। इसके बाद, योग्य शॉर्टलिस्ट किए गए एएसपी को कार्य से सम्मानित किया जाएगा।

III. एएसपी को पैनल में शामिल करने के लिए भादूविप्रा द्वारा जारी आरएफपी के जवाब में, उन्हें विस्तृत जनशक्ति लागत के संदर्भ में परियोजना लागत जमा करनी होगी। आरएफपी प्रकाशित करने से पहले, परियोजना लागत के आकलन के लिए भादूविप्रा एनआईसीएसआई टियर- II पैनल मैनपावर दरों का उपयोग करेगा। पैनलबद्ध दरों को समय-समय पर एनआईसीएसआई की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाता है। संदर्भ के लिए, एनआईसीएसआई टियर-II पैनलबद्ध विक्रेताओं की प्रचलित विस्तृत जनशक्ति लागत (पदनाम-वार) अनुबंध-II में दी गई है।

IV. आरएफपी के जवाब में चयन होने पर, एएसपी को एक परियोजना विशिष्ट समझौते पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता होगी। हस्ताक्षरित समझौते की वैधता अवधि के दौरान, जनशक्ति दरों को संशोधित नहीं किया जाएगा।

V. परियोजना की आवश्यकताओं और जटिलता के आधार पर, भादूविप्रा के पास पैनल में शामिल एएसपी के माध्यम से या पैनल के बाहर किसी एजेंसी से किए जाने वाले कार्यों / परियोजनाओं को तय करने का अधिकार सुरक्षित है।

3. वर्तमान सेटअप के बारे में जानकारी

मौजूदा भादूविप्रा आईटी परियोजनाओं के बारे में जानकारी सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है और पोर्टल को भादूविप्रा की आधिकारिक वेबसाइट से एक्सेस किए जा सकते हैं। एनआईसी क्लाउड/एज़ूर पर होस्ट किए गए पोर्टल/ऐप्स का विवरण नीचे दिया गया है। रखरखाव और विकास की सुविधा के लिए, भादूविप्रा चयनित बोलीदाता को सभी उपलब्ध दस्तावेज जैसे यूजर मैनुअल, डिजाइन दस्तावेज, प्रशिक्षण सामग्री और स्रोत कोड प्रदान करेगा।

i. **बी एंड सीएस इंटीग्रेटेड पोर्टल (बीआईपीएस) (https://bips.trai.gov.in/)**
बीआईपीएस प्रसारण क्षेत्र के सभी हितधारकों जैसे प्रसारकों और वितरकों को दूरसंचार (प्रसारण एवं केबल) सर्विस रजिस्टर ऑफ इंटरकनेक्शन एग्रीमेंट और ऐसे अन्य सभी मामलों के विनियम, 2019 के अनुसार इंटरकनेक्शन और अन्य समझौतों से संबंधित जानकारी प्रस्तुत करने की सुविधा प्रदान करता है।

ii. **सीएमएस ऐप और पोर्टल (https://cms.trai.gov.in/)**
मूल्य वर्धित सेवाओं (वीएएस) से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए, शिकायत प्रबंधन प्रणाली पोर्टल उपभोक्ताओं को अपने फोन पर सक्रिय वीएएस सेवाओं का विवरण प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। जहां टीएसपी द्वारा वीएएस के लिए दोहरी सहमति दर्ज नहीं की गई है, उपभोक्ता एक महीने के लिए वीएएस की लागत के लिए दावा करने में सक्षम होंगे और दावों, यदि कोई हो, का निपटान संबंधित टीएसपी द्वारा किया जाएगा।

iii. **माईस्पीड ऐप और पोर्टल (https://myspeed.trai.gov.in/)**
माईस्पीड ऐप टेलीकॉम उपयोगकर्ताओं को डेटा स्पीड अनुभव को मापने की अनुमति देता है और परिणाम भादूविप्रा को क्राउडसोर्सिंग के आधार पर भेजता है। एप्लिकेशन डिवाइस और परीक्षणों के स्थान के साथ कवरेज, डेटा स्पीड और अन्य नेटवर्क जानकारी को इकट्ठा करता और भेजता है। माईस्पीड पोर्टल उपयोगकर्ताओं को पूरे भारत में भीड़-भाड़ वाली औसत मोबाइल डेटा स्पीड का पता लगाने की सुविधा प्रदान करता है। उपयोगकर्ता अपनी रुचि के स्थान पर औसत डेटा स्पीड भी देख सकते हैं। पोर्टल के माध्यम से डाटा डाउनलोड के लिए भी उपलब्ध है।

iv. **टैरिफ पोर्टल (https://tariff.trai.gov.in/consumerview/index.aspx)**
टैरिफ पोर्टल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां उपभोक्ताओं को एक ही स्थान पर विभिन्न आईएसपी/टीएसपी और उनके विभिन्न लाइसेंस प्राप्त सेवा क्षेत्रों (एलएसए) के टैरिफ देखने की सुविधा होती है। यह मंच न केवल उपभोक्ताओं को लाभान्वित करता है, बल्कि अन्य हितधारकों को भी टैरिफ की ऑनलाइन फाइलिंग में मदद करता है। उपयोगकर्ता प्रभाग टीएसपी/आईएसपी द्वारा प्रस्तुत टैरिफ का विश्लेषण, समीक्षा, स्वीकार/अस्वीकार कर सकता है। पोर्टल से विभिन्न प्रकार की रिपोर्टें भी तैयार की जा सकती हैं।

v. **हेडर सूचना पोर्टल (https://smsheader.trai.gov.in/)**
हेडर सूचना पोर्टल ग्राहकों को वाणिज्यिक और सरकारी जागरूकता संचार के प्रेषक को जानने की सुविधा प्रदान करता है। यह पोर्टल अन्य प्रमुख संस्थाओं को यह जांचने में भी मदद कर सकता है कि कोई समान दिखने वाला हेडर किसी अन्य संस्था द्वारा पंजीकृत है या नहीं। कोई भी व्यक्ति किसी विशेष हेडर के बारें में सवाल पूछ सकता है या पूरी सूची डाउनलोड कर सकता है। टीएसपी प्रमुख संस्थाओं (व्यापार या कानूनी संस्थाओं) को सौंपे गए अक्षरांकीय हेडर की सूची अपलोड कर सकते हैं।

vi. **डीएनडी ऐप**
(https://play.google.com/store/apps/details?id=trai.gov.in.dnd&hl=en-gb)
डीएनडी (डू नॉट डिस्टर्ब) सेवा ऐप स्मार्टफोन उपयोगकर्ताओं को अवांछित वाणिज्यिक संचार (यूसीसी) / टेलीमार्केटिंग कॉल / एसएमएस से बचने के लिए डीएनडी के तहत अपना मोबाइल नंबर पंजीकृत

करने में सक्षम बनाता है। यह भादूविप्रा के दूरसंचार वाणिज्यिक संचार ग्राहक वरीयता विनियम, 2018 (इसके बाद "टीसीसीसीपीआर, 2018" के रूप में संदर्भित) पर आधारित है।

vii. **एसएमएस हेडर छूट** (https://smsheader.trai.gov.in/exemption/)
यह पोर्टल सरकारी संस्थाओं को टीसीसीसीपीआर, 2018 के नियमन 35 के तहत पंजीकृत हेडर के लिए 5 पैसे तक एसएमएस समाप्ति शुल्क से छूट के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा प्रदान करता है। यह पोर्टल सरकारी संस्थाओं को नवीनीकरण की तारीखों और 5 पैसे की छूट से संबंधित अन्य जानकारी के बारे में जानने में भी मदद करता है।

viii. **चैनल सेलेक्टर ऐप और पोर्टल** (https://channelselector.trai.gov.in/)
यह पोर्टल कार्यक्षमता प्रदान करता है जिसके माध्यम से उपभोक्ता अपने डीपीओ के प्रस्तावों को देख सकते हैं, मौजूदा सदस्यता विवरण प्राप्त कर सकते हैं, चैनल और बुके को चुन सकते हैं और अनुकूलित कर सकते हैं, मौजूदा चयन को संशोधित कर सकते हैं और संबंधित डीपीओ के साथ चयन सेट कर सकते हैं। पोर्टल उपभोक्ता के चयन के आधार पर एक इष्टतम विन्यास अर्थात चैनलों/ बुके के संयोजन का सुझाव देगा ताकि कुल मासिक बिल को कम किया जा सके। इसके अलावा, यह भौगोलिक, क्षेत्रीय, भाषा, शैलियों आदि को ध्यान में रखते हुए उपभोक्ता की रुचि के आधार पर चैनलों/ बुके के संयोजन का सुझाव देगा। पोर्टल उपयोगकर्ताओं को वर्तमान सदस्यता प्रस्तावों को डाउनलोड और प्रिंट करने और सदस्यता अनुरोध सेट करने की भी अनुमति देता है।

ix. **अनुशंसा स्थिति पोर्टल** (https://trsp.trai.gov.in/)
यह पोर्टल स्थिति के साथ भादूविप्रा की सिफारिशों का भंडार है। यह पोर्टल भादूविप्रा को दूरसंचार और प्रसारण क्षेत्र से संबंधित सिफारिशों को भारत सरकार को अग्रेषित करने की सुविधा प्रदान करता है। ऐसी सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई/कार्यान्वयन को उनके द्वारा अद्यतन किया जाएगा और इस पोर्टल के माध्यम से देखा जा सकता है।

x. **एमएनआरएल पोर्टल** (https://mnrl.trai.gov.in/)
एमएनआरएल पोर्टल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां संबंधित टीएसपी स्थायी रूप से डिस्कनेक्ट किए गए मोबाइल नंबरों की सूची जमा कर सकते हैं। बैंक जैसे हितधारक एमएनआरएल डाउनलोड कर सकते हैं और अपने स्वयं के वर्कफ़्लो का उपयोग करके अपने डेटाबेस को साफ कर सकते हैं (उदाहरण के लिए, एक बैंक सूची डाउनलोड कर सकता है, प्रत्येक नंबर की जांच कर सकता है और यदि यह उनके ग्राहकों में से एक है, तो इसे फ़्लैग कर सकता है, और ग्राहक को अपने नए नंबर के साथ इसे अपडेट करने दें सकते है)। इस प्रकार हितधारक अपने ग्राहक के अलावा किसी अन्य को वन-टाइम पासवर्ड आदि नहीं भेजेंगे। इससे उन ग्राहकों को मदद मिलेगी, जो या तो नियमित रूप से संबंधित सेवाओं का उपयोग नहीं कर रहे हैं और इसलिए उन्हें अपना मोबाइल नंबर अपडेट करने का कोई कारण नहीं मिल रहा है, या किसी अन्य व्यक्ति / संस्था को मोबाइल नंबर के पुन: आवंटन पर मोबाइल नंबर के पुन: उपयोग के कारण संभावित खतरे के बारे में जागरूक नहीं हो पाए है।

xi. **एनालिटिक्स पोर्टल (ड्राइव टेस्ट और माई कॉल ऐप और पोर्टल)** (https://analytics.trai.gov.in/)
भादूविप्रा रीयल-टाइम में विभिन्न क्यूओएस मापदंडों के मूल्यांकन के लिए इंडिपेंडेंट ड्राइव टेस्ट (आईडीटी) आयोजित करता है। इस पोर्टल का उपयोग क्यूओएस मापदंडों के प्रदर्शन के साथ-साथ

स्वतंत्र ड्राइव परीक्षणों के परिणामों का पता लगाने के लिए किया जा सकता है। यह उपयोगकर्ताओं और सेवा प्रदाताओं को विभिन्न दूरसंचार सेवाओं में विभिन्न मुद्दों का पता लगाने और उन्हें हल करने की सुविधा प्रदान करता है। विभिन्न गुणवत्ता सेवा मानकों के लिए इसके तीन पोर्टल हैं:

(i) **भादूविप्रा ड्राइव टेस्ट पोर्टल (https://analytics.trai.gov.in/trai/qos/index.php):** यह भादूविप्रा द्वारा किए गए स्वतंत्र ड्राइव परीक्षणों के परिणामों का पता लगाने के लिए एक पोर्टल है।

(ii) **भादूविप्रा माईकॉल पोर्टल (https://trai.gov.in/mycall-dashboard):** इस पोर्टल के माध्यम से, भादूविप्रा माईकॉल ऐप के माध्यम से उपयोगकर्ताओं से एकत्र की गई वॉयस कॉल गुणवत्ता फीडबैक रेटिंग का पता लगाएं। यह पोर्टल माईकॉल ऐप के माध्यम से एकत्रित रेटिंग के डेटा विजुअलाइज़ेशन के लिए मानचित्र आधारित दृश्य प्रदान करता है। उपयोगकर्ता माईकॉल ऐप डाउनलोड करके अपने वॉयस कॉल गुणवत्ता अनुभव को रेट कर सकते हैं।

(iii) **भादूविप्रा माईस्पीड पोर्टल (https://myspeed.trai.gov.in/):** पोर्टल उपयोगकर्ताओं को पूरे भारत में ग्राहकों के मोबाइल डेटा अनुभव का पता लगाने की सुविधा प्रदान करता है। उपयोगकर्ता ऐप डाउनलोड करके और अपनी डेटा स्पीड का परीक्षण करके डेटा जमा कर सकते हैं।

xii. लिंक शॉर्टनर (https://link.trai.gov.in/)
यह इन-हाउस विकसित एप्लिकेशन बड़े यूआरएल को साझा करने योग्य शॉर्ट लिंक में बदलने के लिए भादूविप्रा के आंतरिक उपयोग के लिए है।

xiii. बीसीसीएमएस पोर्टल (https://bccms.trai.gov.in/)
इस पोर्टल का उपयोग प्रसारण डोमेन में संबंधित सेवा प्रदाताओं के खिलाफ पत्र/ईमेल के माध्यम से भादूविप्रा में प्राप्त विभिन्न शिकायतों को अपलोड करने के लिए किया जा रहा है।

xiv. टीसीसीएमएस पोर्टल (https://tccms.trai.gov.in/)
इस पोर्टल का उपयोग दूरसंचार क्षेत्र में संबंधित सेवा प्रदाताओं के खिलाफ पत्र/ईमेल के माध्यम से भादूविप्रा में प्राप्त विभिन्न शिकायतों को अपलोड करने के लिए किया जा रहा है। यह ग्राहकों को उनके दूरसंचार सेवा प्रदाता के पास शिकायत दर्ज करने के लिए शिकायत केंद्र का विवरण, अपीलीय प्राधिकारी का विवरण प्रदान करके समस्या को आगे बढ़ाने के लिए सुविधा प्रदान करता है, यदि दूरसंचार सेवा प्रदाता द्वारा उनकी शिकायत को संतोषजनक ढंग से संबोधित नहीं किया गया है, और एक की स्थिति शिकायत या अपील पहले से दर्ज है।

4. रुचि की अभिव्यक्ति

भादूविप्रा अनुलग्नक-। (भाग ए, बी और सी) में दिए गए प्रारूप में रुचि की अभिव्यक्ति बोलियां आमंत्रित करता है।

4.1.1 पात्रता शर्तें

बोलीदाता को निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करना होगा और अपने प्रस्ताव के साथ क्रमानुसार दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करना होगा: -

1) बोलीदाताओं को प्रसंस्करण शुल्क के रूप में 5,000/- रुपये जमा करने होंगे।
2) बोली लगाने वालों को बोली सुरक्षा के रूप में 50,000/- रुपये जमा करने होंगे। हालांकि, एनएसआईसी/एमएसएमई/डीआईपीपी के साथ माइक्रो/स्मॉल/स्टार्टअप के रूप में पंजीकृत बोलीदाता सामान्य वित्तीय नियम, 2017 (इसके बाद "जीएफआर" के रूप में संदर्भित) के नियम 170 के तहत बोली सुरक्षा के भुगतान से छूट के लिए पात्र हैं और छूट का दावा करने के लिए स्व-सत्यापित प्रासंगिक प्रमाण पत्र और दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करेंगे और एक बिड-सिक्योरिंग डिक्लेरेशन स्वीकार करेंगे कि यदि वे वैधता की अवधि के दौरान अपनी बोलियों को वापस लेते हैं या संशोधित करते हैं, या यदि उन्हें अनुबंध से सम्मानित किया जाता है और वे अनुबंध पर हस्ताक्षर करने में, या अनुरोध निषिद्ध दस्तावेज़ में निर्धारित समय सीमा से पहले एक प्रदर्शन सुरक्षा (पीबीजी) जमा करने के लिए विफल रहते हैं, उन्हें भादूविप्रा के विवेक पर किसी भी निविदा में भाग लेने से निलंबित किया जा सकता है।
3) बोलीदाता कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत भारत में पंजीकृत एक इकाई/कंपनी होना चाहिए या भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 के तहत पंजीकृत एक साझेदारी फर्म होना चाहिए, तो संशोधन के साथ, यदि कोई हो, या ई-जीओवी, एम-जीओवी, एम2एम और आईसीटी समाधान प्रदान करने/कार्यान्वयन के व्यवसाय के लिए एक स्वामित्व फर्म होना चाहिए (एमओयू की प्रतियां, एसोसिएशन का लेख, निगमन का प्रमाण पत्र जमा किया जाना है)।
    i. बोलीदाता ने आईसीटी आधारित टर्नकी सॉल्यूशंस/परियोजनाओं को सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया होगा (केवल तकनीकी जनशक्ति और/या आईटी हार्डवेयर/उपकरणों की आपूर्ति को अनुभव के रूप में नहीं माना जाएगा)। मूल्यांकन के प्रयोजन के लिए, पिछले पांच वर्षों में 25 लाख रुपये या उससे अधिक मूल्य के निष्पादित परियोजनाओं को माना जाएगा।
    ii. यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी भी व्यक्तिगत संगठन के लिए एक ही परियोजना के विकास और रखरखाव को शामिल करने वाले आदेशों को मूल्यांकन के लिए एक परियोजना के रूप में माना जाएगा। समय के साथ उसी परियोजना के अनुरक्षण/वृद्धि के आदेशों को भी मूल्यांकन के लिए उसी परियोजना के भाग के रूप में माना जाएगा। उन लोगों को वरीयता दी जाएगी जिनके पास दूरसंचार/प्रसारण डोमेन में पूर्व अनुभव है (कार्य आदेश /अनुबंध/समझौता/स्वीकृति आदेश/ग्राहक से भुगतान रसीद की एक प्रति के साथ परियोजना पूर्णता प्रमाण पत्र जमा करना होगा)।
4) बोलीदाता का पिछले 5 वर्षों के दौरान आईसीटी आधारित समाधानों (तकनीकी जनशक्ति की आपूर्ति और/या आईटी हार्डवेयर/उपकरण आपूर्ति को छोड़कर) में न्यूनतम औसत वार्षिक कारोबार रु.5 करोड़ होना चाहिए (सीए द्वारा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना है)। पिछले पांच वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष का टर्नओवर विवरण बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत करना होगा।
5) बोलीदाता के पास पिछले 5 वर्षों में से तीन वित्तीय वर्षों में से किसी एक में सकारात्मक शुद्ध संपत्ति होनी चाहिए (उसकी प्रति सीए द्वारा प्रमाणित की जानी चाहिए)।
6) बोलीदाता के पास जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) के लिए एक पंजीकरण संख्या होनी चाहिए और एक वैध पैन (पैन की प्रति, जीएसटीआईएन पंजीकरण जमा करना होगा।)

7) ईओआई जमा करने की तारीख को बोलीदाता को खराब प्रदर्शन/विलंबित वितरण के लिए या किसी अन्य कारण से किसी केंद्र/राज्य सरकार के विभागों, स्वायत्त निकायों, किसी अन्य संगठन द्वारा परियोजनाओं में व्यक्तिगत रूप से या एक संघ के सदस्य के रूप में भाग लेने से काली सूची में नहीं होना चाहिए। (वचन-पत्र प्रस्तुत करना होगा)।

8) परियोजनाओं के लिए सहायता प्रदान करने और कार्य के सुचारू संचालन और समन्वय के लिए, चयनित बोलीदाता का दिल्ली/एनसीआर में एक स्थानीय कार्यालय होना चाहिए (दिल्ली/एनसीआर में कार्यालय का पता प्रमाण प्रस्तुत करना होगा)

4.1.2 आवश्यक अनुपालन

बोलीदाता को अपने प्रस्ताव के साथ निम्न प्रकार से वचनबद्धता प्रस्तुत करना आवश्यक है: -

i. बोलीदाता को एम-गॉव, ई-गॉव, आईओटी/एम2एम सॉल्यूशंस के संबंध में भारत सरकार/डॉट/भादूविप्रा द्वारा जारी सभी लागू नियामक और कानूनी दिशानिर्देशों का पालन करना होगा ।

ii. नवीन/नई उभरती प्रौद्योगिकियों/जटिल समाधानों से संबंधित परियोजनाओं के मामले में, अनुकरण मॉडल/पायलट परियोजना शुरू करने की आवश्यकता हो सकती है। मॉडल/पायलट को शुरू करने के लिए विस्तृत आवश्यकता, यदि कोई हो, को संबंधित परियोजना के प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आरएफपी) में विस्तृत किया जाएगा (स्व-घोषणा प्रस्तुत करनी होगी, कि किसी भी परियोजना-विशिष्ट आवश्यकता के आधार पर यदि भादूविप्रा ऐसा चाहता है, तोह बोलीदाता अपनी लागत पर एक पायलट परियोजना शुरू करने के लिए तैयार है)।

iii. एक स्वघोषणा कि:-
   (i) बोलीदाता दिवालिया नहीं है, रिसीवरशिप में नहीं है, गैर परिचालित, अदालत या न्यायिक अधिकारी द्वारा इसके मामले प्रशासित नहीं हैं, इसकी व्यावसायिक गतिविधियों को निलंबित नहीं किया गया है और पूर्वगामी कारणों में से किसी के लिए कानूनी कार्यवाही का हिस्सा नहीं है।
   (ii) बोलीदाता या उसके किसी निदेशक या अधिकारी को उनके पेशेवर आचरण से संबंधित कोई भी आपराधिक अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया गया है या अधिप्राप्ति प्रक्रिया शुरू होने से पहले तीन साल की अवधि के भीतर एक प्रापण अनुबंध में प्रवेश करने के लिए उनकी योग्यता के रूप में गलत बयान या गलत बयानबाजी करने के लिए, या अन्यथा डिबारमेंट कार्यवाही के अनुसार अयोग्य घोषित नहीं किया गया है
   (iii) बोलीदाता सत्यनिष्ठा संहिता के लिए स्व-प्रमाणन का अनुपालन करेगा।
   (iv) बोलीदाता आचार संहिता का पालन करेगा और राज्य के हित और संप्रभुता के खिलाफ काम नहीं करेगा।

भादूविप्रा के पास ईओआई आवश्यकता के खिलाफ प्रस्तुत प्रासंगिक दस्तावेजों में कमी के कारण किसी भी गैर-अनुपालन बोली को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है।

4.2 प्रसंस्करण शुल्क

बोलीदाता को प्रसंस्करण शुल्क के रूप में आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से 5,000/- रुपये ऑनलाइन जमा करने होंगे। प्रसंस्करण शुल्क के बिना प्राप्त बोलियों को सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दिया जाएगा। बोलीदाता नीचे दिए गए भादूविप्रा के खाते में शुल्क जमा करेगा: -

नाम : भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
बैंक : यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, आसफ अली रोड, दिल्ली-110002।
खाता संख्या : 510101004370731
आईएफएस कोड: UBIN0906794

बोलीदाता द्वारा बोली के साथ भुगतान का विवरण प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

4.3 बोली प्रतिभूति

4.3.1 बोलीदाता को आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से 50,000/- रुपये की वापसी योग्य बोली सुरक्षा राशि ऑनलाइन जमा करनी होगी। राशि को पैरा 4.2 में उल्लिखित भादूविप्रा के खाते में जमा किया जाना चाहिए और भुगतान का विवरण ईओआई के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

4.3.2 बोली सुरक्षा जमा राशि उन बोलीदाताओं को वापस कर दी जाएगी जो इस ईओआई के तहत अर्हता प्राप्त नहीं करते हैं। सफल बोलीदाताओं की घोषणा के एक महीने के बाद, बोली सुरक्षा जमा बिना ब्याज के वापस कर दी जाएगी और केवल योग्य और सफल बोलीदाताओं के लिए ही रखी जाएगी। सफल बोलीदाताओं की बोली सुरक्षा जमा राशि पीबीजी प्राप्त होने के बाद ही जारी की जाएगी।

4.3.3 जीएफआर के नियम 170 के अनुसार, सूक्ष्म और लघु उद्यम (एमएसई) और संबंधित मंत्रालयों/विभागों में पंजीकृत फर्मों को बोली सुरक्षा जमा करने से छूट दी गई है।

4.3.4 एनएसआईसी/एमएसएमई/डीआईपीपी आदि के साथ माइक्रो/स्मॉल/स्टार्टअप के रूप में पंजीकृत पात्र बोलीदाताओं के लिए बोली सुरक्षा जमा में छूट पर विचार किया जाएगा, हालांकि, बोलीदाताओं को स्वयं यह सुनिश्चित करना होगा कि वे इसके लिए पात्र हैं और छूट का दावा करने के लिए स्व-सत्यापित प्रासंगिक प्रमाण पत्र और दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे। यदि छूट की मांग की जाती है, तो बोलीदाता को यह स्वीकार करते हुए एक बोली-सुरक्षित घोषणा भी प्रस्तुत करनी होगी कि यदि वे वैधता की अवधि के दौरान अपनी बोलियों को वापस लेते हैं या संशोधित करते हैं, या यदि उन्हें अनुबंध दिया जाता है और वे अनुबंध पर हस्ताक्षर करने में, या बोली दस्तावेज के अनुरोध में निर्धारित समय सीमा से पहले एक प्रदर्शन सुरक्षा (पीबीजी) जमा करने में विफल रहते हैं, तोह उन्हें भादूविप्रा के विवेक पर किसी भी निविदा में भाग लेने से निलंबित किया जा सकता है।

4.4. ईओआई की वैधता

बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत ईओआई बोली जमा करने की अंतिम तिथि से 180 दिनों के लिए वैध होगी।

4.5. **ईओआई प्रस्तुत करना**

4.5.1 इस ईओआई में मांगी गई सभी आवश्यक जानकारी बोलीदाता द्वारा अंतिम तिथि से पहले और जमा की गई बोली के साथ प्रदान करना आवश्यक है।

4.5.2 ईओआई जमा करने की अंतिम तिथि **21 फरवरी 2022 (दोपहर 12.30 बजे)** है। निर्दिष्ट तिथि के बाद प्राप्त किसी भी ईओआई को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

4.5.3 भादूविप्रा बिना कोई कारण बताए किसी ईओआई को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

4.5.4 इस ईओआई के संदर्भ में महत्वपूर्ण तिथियां नीचे दी गई हैं:-

(a) **ईओआई जारी करने की तिथि : 21 जनवरी 2022**
(b) **ईओआई जमा करने की अंतिम तिथि : 21 फरवरी 2022 (दोपहर 12.30 बजे)**

4.6. **प्री-बिड मीटिंग**

4.6.1. भादूविप्रा नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार संभावित बोलीदाताओं के साथ एक पूर्व-बोली बैठक आयोजित करेगा: -

(a) प्री-बिड मीटिंग की तिथि : **10 फरवरी, 2022**
(b) प्री-बिड मीटिंग का समय : **अपराह्न 03:30 बजे**
(c) स्थान : ऑनलाइन (लिंक शेयर किया जाएगा)

4.6.2. बोली की शर्तों, बोली प्रक्रिया, मूल्यांकन मानदंड आदि के संबंध में निर्धारित समय के भीतर बोलीदाताओं से प्राप्त प्रश्नों को संबोधित किया जाएगा। भादूविप्रा को ईमेल के माध्यम से (एक्सेल फाइल में) it-eoirfp@trai.gov.in पर 'ट्राई-ईओआई प्री-बिड क्वेरी' विषय के साथ प्रश्न भेजे जा सकते हैं।

4.6.3. केवल उन्हीं पूर्व-बोली प्रश्नों पर विचार किया जाएगा जो निम्नलिखित निर्धारित प्रारूप में **07 फरवरी 2022** तक प्राप्त होंगे:

कंपनी का नाम	**मैसर्स. ....**			
क्रमांक	**ईओआई का प्रासंगिक खंड/अनुलग्नक**	**ईओआई पेज क्र.**	**ईओआई से प्रासंगिक सामग्री**	**बोलीदाता की क्वेरी/टिप्पणी**

4.6.4. जैसा कि ऊपर वर्णित है, भादूविप्रा इस दिन के बाद प्राप्त किसी भी प्रश्न को स्पष्ट करने के लिए बाध्य नहीं है। भादूविप्रा प्रत्येक प्रश्न की समीक्षा करेगा और सोच विचार करने के बाद स्पष्टीकरण/शुद्धिपत्र (यदि आवश्यक हो) जारी करेगा। हालांकि, भादूविप्रा प्रत्येक व्यक्तिगत प्रश्न (प्रश्नों) का उत्तर देने का वचन नहीं देता है। बोलीदाता यह नहीं मानेंगे कि उनके अनुत्तरित प्रश्नों को भादूविप्रा द्वारा स्वीकार कर लिया गया है।

4.6.5. कोविड-19 महामारी के चलते वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से प्री-बिड मीटिंग आयोजित की जाएगी। सभी इच्छुक संभावित बोलीदाता (दो अधिकृत प्रतिनिधि) प्री-बिड मीटिंग में भाग ले सकते हैं। जॉइनिंग लिंक/क्रेडेंशियल्स बोलीदाता द्वारा उपलब्ध कराए गए ईमेल पर साझा किए जाएंगे।

4.7. ईओआई के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज

1. प्रत्येक पृष्ठ पर विधिवत हस्ताक्षरित (डिजिटल हस्ताक्षर) ईओआई दस्तावेज़।
2. प्रसंस्करण शुल्क के रूप में रु. 5,000/- के भुगतान का विवरण।
3. एनएसआईसी/एमएसएमई/डीआईपीपी के साथ माइक्रो/स्मॉल/स्टार्टअप के रूप में पंजीकृत पात्र बोलीदाताओं द्वारा बोली सुरक्षा के रूप में 50,000/- रुपये के भुगतान या बोली सुरक्षा घोषणा का विवरण, छूट का दावा करने के लिए स्व-सत्यापित प्रासंगिक प्रमाण पत्र और दस्तावेजी प्रमाण के साथ।
4. ईओआई में उल्लिखित सभी नियमों और शर्तों को स्वीकार करने के लिए बोलीदाता द्वारा वचनबद्धता और अनुबंध- । भाग-ए के अनुसार कंपनी का नाम, पता इत्यादि जैसे पूर्ण विवरण।
5. अनुलग्नक-। भाग-बी के अनुसार विभिन्न खंडों का समर्थन करने के लिए बोलीदाता के प्रकटीकरण और दस्तावेज।
6. अनुलग्नक-। भाग-सी के अनुसार मूल्यांकन मानदंड में विभिन्न खंडों का समर्थन करने के लिए दस्तावेज।
7. बोली संबंधी सभी गतिविधियों, प्रश्नों, प्रस्तुतियों आदि के लिए भादूविप्रा के साथ बातचीत करने के लिए एक व्यक्ति को नामित करने के लिए प्राधिकरण पत्र।

4.8 बोली प्रस्तुत करना

4.8.1 बोलीदाता द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के ईमेल के माध्यम से ऑनलाइन बोली प्रस्तुत करना आवश्यक है it-eoirfp@trai.gov.in. ईमेल में अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता (नाम, पदनाम, मोबाइल नंबर, आदि) के विवरण का उल्लेख किया जाना चाहिए। अनुबंध-। के भाग ए, बी और सी में उल्लिखित सभी दस्तावेजों वाले अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा सभी पृष्ठों पर डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित बोली दस्तावेज को पासवर्ड सुरक्षा के साथ एक पीडीएफ प्रारूप में जमा किया जाना चाहिए। बोलीदाताओं से अपेक्षित है कि वे भादूविप्रा सहित किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी माध्यम से पासवर्ड साझा न करें। पीडीएफ फाइल के लिए पासवर्ड एक सीलबंद लिफाफे में भेजा जाना चाहिए और निर्धारित बोली खोलने के समय से पहले भादूविप्रा में प्राप्त किया जाना चाहिए या बोली खोलने के दौरान अधिकृत व्यक्ति द्वारा साझा किया जाना चाहिए। यदि डिजिटल हस्ताक्षर सत्यापित नहीं पाया जाता है, तो प्रस्तुत बोली को अस्वीकार कर दिया जाएगा। बोली जमा करने की अंतिम तिथि और समय के बाद ऑनलाइन प्राप्त बोलियों को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

4.8.2 डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित बोली दस्तावेज की हार्ड कॉपी, बोली जमा करने की अंतिम तिथि से 7 दिनों के भीतर, एक लिफाफे में "भादूविप्रा में आवेदन सेवा प्रदाताओं के पैनल के लिए ईओआई" का उल्लेख करते हुए जमा की जा सकती है और इसे "भादूविप्रा" को संबोधित किया जा सकता है।

4.9 बोलियाँ खोलना

निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार बोलियां खोली जाएंगी:

1) **दिनांक : 21 फरवरी, 2022**
2) **समय : 03:30 अपराह्न**
3) **स्थान : वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ऑनलाइन (बोली प्राप्त करने वाले ईमेल पर लिंक साझा किया जाएगा)**

5. बोलीदाताओं को निर्देश

5.1 अनुबंध-I (भाग-ए) में निर्दिष्ट बोली के साथ बोलीदाता का संक्षिप्त प्रोफ़ाइल प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

5.2 ईओआई जमा करने से पहले किसी भी समय, भादूविप्रा इस ईओआई दस्तावेज और/या अनुसूची में संशोधन कर सकता है। संशोधन वेबसाइट (https://trai.gov.in) पर उपलब्ध कराया जाएगा और बोलीदाताओं के लिए बाध्यकारी होगा।

5.3 भादूविप्रा, अपने विवेक पर, ईओआई दस्तावेजों में संशोधन करके ईओआई जमा करने की समय सीमा बढ़ा सकता है, इस मामले में भादूविप्रा और बोलीदाताओं के सभी अधिकार और दायित्व, समय सीमा के अधीन, उसके बाद बढ़ाई गई समय सीमा के अधीन होंगे।

5.4 ईओआई की जांच, मूल्यांकन और तुलना में सहायता करने के लिए, भादूविप्रा अपने विवेक से, बोलीदाता से अपने ईओआई के स्पष्टीकरण की मांग कर सकता है। स्पष्टीकरण के लिए अनुरोध और प्रतिक्रिया लिखित रूप में होगी। हालांकि, ईओआई जमा करने के बाद, बोलीदाता की पहल पर किसी स्पष्टीकरण पर विचार नहीं किया जाएगा।

5.5 बोलीदाताओं को भादूविप्रा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण (ऑनलाइन/ऑफलाइन) करने के लिए बुलाया जा सकता है।

5.6 भादूविप्रा के पास बिना कोई कारण बताए किसी भी आवेदन को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है।

5.7 जो बोलियां किसी भी तरह से अधूरी हैं या जो इस दस्तावेज़ में निर्दिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं हैं या जो प्रारूपों का पालन नहीं करती हैं, जहां भी निर्दिष्ट हैं, वे अस्वीकृति के लिए उत्तरदायी होंगी और ऐसे बोलीदाताओं के साथ आगे कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा।

5.8 किसी भी रूप में प्रचार करने पर बोलीदाता को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

5.9 बोलीदाता को प्रस्तुत किए गए बोली दस्तावेज के प्रत्येक पृष्ठ पर एक टोकन के रूप में डिजिटल रूप से हस्ताक्षर करना चाहिए कि उसमें परिलक्षित सभी नियम और शर्तें पूरी तरह से समझी गई हैं।

5.10 बोलीदाता द्वारा जानबूझकर तथ्यों को छुपाने पर, यदि प्रसंस्करण के किसी भी चरण में पता चलता है, तो बोली को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

5.11 बोली दस्तावेज में सभी पृष्ठों को क्रमिक रूप से क्रमांकित किया जाना चाहिए और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित होना चाहिए।

5.12 कोई ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए। हालाँकि, किसी भी सुधार को केवल अधिकृत व्यक्ति द्वारा किया जाना चाहिए।

5.13 भादूविप्रा के पास ईओआई प्रक्रिया को रद्द करने और अपने विवेकाधिकार पर किसी या सभी बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है।

5.14 यह ईओआई बोलीदाताओं के लिए किसी भी खरीद/कार्य आदेश के लिए भादूविप्रा की ओर से किसी प्रतिबद्धता या पुष्टि का गठन नहीं करता है और न ही माना जाएगा।

5.15 उपरोक्त ईओआई में शॉर्टलिस्ट किए गए बोलीदाताओं को पारस्परिक रूप से स्वीकृत नियमों और शर्तों पर भादूविप्रा के साथ एक मास्टर सर्विस एग्रीमेंट (एमएसए) पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता होगी। इस तरह के समझौते की वैधता 3 साल की अवधि के लिए होगी और भादूविप्रा के विवेकाधिकार पर इसे 1 साल तक बढ़ाया जा सकता है।

5.16 बोलीदाता इस ईओआई के प्रति अपनी प्रतिक्रिया तैयार करने और प्रस्तुत करने से संबंधित सभी लागतों को वहन करेगा, जिसमें प्रस्ताव के स्पष्टीकरण के उद्देश्य के लिए डेमो/प्रस्तुतिकरण की लागत शामिल है, यदि भादूविप्रा ऐसा चाहता है तोह। ईओआई प्रक्रिया के आचरण या परिणाम की परवाह किए बिना, भादूविप्रा किसी भी मामले में इन लागतों के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

5.17 ईओआई के खिलाफ जानकारी प्रदान करते समय उचित सावधानी बरती जानी चाहिए। अनावश्यक या अप्रासंगिक जानकारी बोलीदाता को कोई लाभ नहीं देगी। केवल प्रासंगिक और सटीक जानकारी प्रदान की जानी चाहिए। यदि बोलीदाता द्वारा प्रदान की गई कोई भी जानकारी किसी भी स्तर पर गलत पाई जाती है, तो यह उसकी बोली को अस्वीकार करने के लिए कारण होगा और इम्पैनल्मेंट शुल्क को जब्त कर लिया जाएगा।

5.18 ऑफ़र प्राप्त होने की अंतिम तिथि से पहले किसी भी समय, ट्राई किसी भी कारण से, चाहे अपनी पहल पर या संभावित बोलीदाता द्वारा अनुरोधित स्पष्टीकरण के जवाब में, स्पष्टीकरण और/या संशोधन जारी करके ईओआई दस्तावेज़ और अनुलग्नकों सहित सभी प्रारूपों को संशोधित कर सकता है। संभावित बोलीदाताओं को अपने प्रस्तावों को तैयार करने में संशोधन को ध्यान में रखने के लिए उचित समय प्रदान करने के लिए,

बोलीदाता के हस्ताक्षर

भादूविप्रा अपने विवेकाधिकार पर, प्रस्तावों की प्राप्ति के लिए अंतिम तिथि बढ़ा सकता है या ईओआई के निमंत्रण में निर्धारित आवश्यकताओं में अन्य परिवर्तन कर सकता है।

5.19 विशिष्ट परियोजनाओं के लिए, एएसपी समझौते की अवधि के दौरान परियोजना के पूर्ण कार्यान्वयन के लिए और जहां भी भादूविप्रा द्वारा आवश्यक हो, व्यापक एएमसी (वारंटी आदि सहित) के लिए जिम्मेदार होगा। पूर्ण कार्यान्वयन का अर्थ है आवश्यकता के अनुसार और एएसपी और भादूविप्रा के बीच सहमति के अनुसार एंड-टू-एंड सेवा का विस्तार करने की पूरी जिम्मेदारी। इसी तरह, व्यापक एएमसी का अर्थ है निर्दिष्ट गतिविधियों के साथ-साथ तैनात प्रणाली के प्रभावी और कुशल संचालन और रखरखाव की पूरी जिम्मेदारी। इसमें सभी प्रासंगिक/सेवाएं/सामग्रियां/जनशक्ति/अनुमतियां/संपर्क/लाइसेंस/उपभोग्य आदि शामिल हैं, चाहे वे स्पष्ट रूप से सूचीबद्ध हों या निहित रूप से विनिर्देशों के अनुसार परियोजना के संतोषजनक समापन और प्रदर्शन के लिए आवश्यक हों, अंतरराष्ट्रीय कोड और मानकों को पूरा करते हों।

5.20 हालांकि यह ईओआई नेकनीयती से तैयार किया गया है, न तो भादूविप्रा और न ही इसके कर्मचारी कोई प्रतिनिधित्व या वारंटी, व्यक्त या निहित या यहां किसी भी बयान या चूक या जानकारी की सटीकता, पूर्णता या विश्वसनीयता के संबंध में कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार करते हैं और इस ईओआई की सटीकता, विश्वसनीयता या पूर्णता के लिए किसी भी कानून, संविधि, नियमों या विनियमों के तहत कोई दायित्व नहीं है, भले ही उनकी ओर से किसी भी कार्य या चूक के कारण कोई नुकसान या क्षति हुई हो। जो बोलीदाता भादूविप्रा के साथ गैर-अनन्य आधार पर और सख्ती से लगातार नियमों और शर्तों पर काम करने के इच्छुक हैं, वे उपरोक्त आवश्यकताओं के अनुरूप अपना ईओआई भेज सकते हैं:

तकनीकी अधिकारी (आईटी),
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा)
महानगर दूरसंचार भवन,
जवाहरलाल नेहरू मार्ग, नई दिल्ली, दिल्ली 110002
ईमेल आईडी: it-eoirfp@trai.gov.in

6. पैनलबद्ध करने की प्रक्रिया

6.1. चयन प्रक्रिया

6.1.1. निर्धारित तिथि एवं समय पर विधिवत नामित समिति द्वारा बोलीदाताओं की उपस्थिति में बोलियां खोली जाएंगी।

6.1.2. बोलियां खोलने के बाद, उनकी जांच की जाएगी ताकि यह पता लगाया जा सके कि प्रसंस्करण शुल्क सही है या नहीं। समिति द्वारा केवल उन्हीं बोलीदाताओं के बोली दस्तावेजों का मूल्यांकन किया जाएगा जिनका प्रसंस्करण शुल्क क्रम में है।

6.1.3. विधिवत नामित समिति अनुबंध-I भाग-ए, बी और सी के अनुसार प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच करेगी। इसके अलावा, समिति बोलीदाता के कार्य अनुभव का मूल्यांकन करेगी और किए गए वास्तविक कार्य का मूल्यांकन करने के लिए प्रस्तुतिकरण और साइट के दौरे के लिए बुला सकती है।

6.1.4. बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच के बाद, उन्हें तकनीकी प्रस्तुति के लिए कहा जा सकता है जिसमें ट्राई के वर्तमान आईटी समाधान और उनके प्रस्तावित समाधान, मूल्यांकन, भविष्य की योजना, रोडमैप, प्रौद्योगिकी उन्नयन, सुधार और संवर्द्धन के लिए अभिनव समाधान, यदि कोई हो, और भविष्य की योजना और सेवाओं को क्रियान्वित करने के लिए रोड मैप की समझ शामिल होगी। भविष्य के दृष्टिकोण पर एक राइट-अप, लगभग 250 शब्दों में, बोलियों के साथ प्रदान करना होगा।

6.1.5. भादूविप्रा द्वारा यथासमय समिति की मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुमोदन के बाद सफल बोलीदाताओं को सूचित किया जाएगा।

6.1.6. सफल बोलीदाताओं का एक पैनल बनाया जाएगा, और ऐसे सभी बोलीदाताओं को समय-समय पर भादूविप्रा द्वारा जारी परियोजनाओं के लिए आरएफपी में भाग लेने के लिए अधिकृत किया जाएगा।

6.1.7. बोलीदाताओं को समिति के सदस्यों के साथ कोई बातचीत नहीं करनी चाहिए। हालांकि, भादूविप्रा बोलीदाताओं से लिखित रूप में पहले से प्रस्तुत जानकारी पर स्पष्टीकरण मांग सकता है।

6.2. समझौते पर हस्ताक्षर

6.2.1. पैनल में शामिल होना शुरू में तीन साल की अवधि के लिए होगा, जिसे भादूविप्रा के विवेक पर समान नियमों और शर्तों या अतिरिक्त पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों पर अगले एक साल के लिए बढ़ाया जा सकता है।

6.2.2. पैनल में शामिल होने के बाद, भादूविप्रा एएसपी के साथ एक मास्टर सर्विस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करेगा। हालाँकि, यदि आवश्यक हो, तो परियोजना के विज्ञापनों के आधार पर एक परिशिष्ट समझौते पर हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। परिशिष्ट समझौते और परियोजना की अन्य आवश्यकताओं को एएसपी के साथ चर्चा करके अंतिम रूप दिया जाएगा।

6.2.3. समझौता गैर-अनन्य होगा और किसी भी पक्ष को किसी अन्य पार्टी के साथ समान समझौते में प्रवेश करने से रोकने के लिए या ऐसी पार्टी को सीधे संबंधित गतिविधियों में शामिल होने से प्रतिबंधित करने के लिए समझौते में कुछ भी नहीं माना जाएगा।

6.2.4. कार्य सौंपे जाने के बाद, एएसपी किसी भी परिस्थिति में, आरएफपी में उल्लिखित या आरएफपी के खिलाफ एएसपी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के अनुसार, आंशिक या पूर्ण रूप से कार्य को वापस लेने या निष्पादित करने से इनकार नहीं करेगा। किसी भी इनकार या निकासी के मामले में, एएसपी आरएफपी के खिलाफ प्रस्ताव जमा करने की तारीख से भादूविप्रा को रु. 5,000/- प्रति दिन के परिसमापन नुकसान का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

6.3. प्रदर्शन बैंक गारंटी (पीबीजी):

6.3.1 पैनल में शामिल बोलीदाताओं को भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, नई दिल्ली के पक्ष में एक वाणिज्यिक बैंक से रु. 50,000/- की राशि के लिए एक पीबीजी जमा करना होगा, जो पैनलबद्ध अवधि से परे तीन महीने की अवधि के लिए वैध है।

6.3.2 यदि पैनल में शामिल होने की अवधि को पैरा 5.2 में दिए गए प्रावधान के अनुसार आगे की अवधि के लिए बढ़ाया जाता है, तो सूचीबद्ध बोलीदाता निष्पादन बैंक गारंटी का विस्तार करेगा, जिसकी वैधता विस्तारित अवधि के बाद तीन महीने तक होगी।

6.3.3 पैनल में शामिल बोलीदाता काम देने के बाद परियोजना की कुल लागत के 3% (अर्थात आरएफपी के खिलाफ उद्धृत राशि) के बराबर बैंक गारंटी भी प्रस्तुत करेगा। पीबीजी पैनलबद्ध बोलीदाता के साथ परियोजना असाइनमेंट और डिलिवरेबल्स की पूरी अवधि के लिए मान्य होगा। काम के असंतोषजनक निष्पादन और सुपुर्दगी के मामले में भादूविप्रा के पास पीबीजी को भुनाने का अधिकार सुरक्षित होगा।

6.4 हानि से सुरक्षा

भादूविप्रा किसी भी स्थिति में इस ईओआई के तहत आपूर्तिकर्ता/समाधान प्रदाता द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के प्रदर्शन या उपयोग के संबंध में विशेष, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष या किसी अन्य नुकसान के लिए एएसपी के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा। एएसपी बोलीदाता, उसके एजेंटों या कर्मचारियों की ओर से किसी भी प्रकार की चूक या चूक के लिए भादूविप्रा के खिलाफ किसी भी नुकसान, दावे, हानि या कार्रवाई के संबंध में भादूविप्रा की क्षतिपूर्ति करेगा।

6.5 पत्र - व्यवहार

बोलीदाता अपने कर्मचारियों में से एक को समन्वयक के रूप में नियुक्त करेगा जो भादूविप्रा के साथ व्यवहार में इसका प्रतिनिधित्व करेगा। ईओआई से संबंधित सभी पत्राचार तकनीकी अधिकारी (आईटी), भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, महानगर दूर संचार भवन, नई दिल्ली-110002 को संबोधित किए जाएंगे।

6.6 गोपनीयता

ईओआई प्रक्रिया के दौरान एकत्र की गई सभी जानकारी भादूविप्रा की एकमात्र संपत्ति होगी। एएसपी किसी भी परिस्थिति में एक सेवा प्रदाता की जानकारी को दूसरे सेवा प्रदाता या किसी तीसरे पक्ष को हस्तांतरित नहीं करेगा। इसके अलावा, इस ईओआई दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर करके, बोलीदाता पुष्टि करता है कि वह भादूविप्रा की पूर्व लिखित सहमति के बिना इस दस्तावेज़ या उसके हिस्से में निहित किसी भी जानकारी का किसी तीसरे पक्ष को खुलासा नहीं करेगा।

6.7 क्षेत्राधिकार

नई दिल्ली/दिल्ली में स्थित न्यायालयों के पास इस ईओआई से उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद का निर्णय करने, ईओआई के मूल्यांकन और एएसपी के साथ भादूविप्रा द्वारा किए जा सकने वाले समझौते के बाद तकनीकी रूप से योग्य पाए जाने वाले बोलीदाता को जारी किए जाने वाले निविदा दस्तावेज का अधिकार क्षेत्र होगा।

6.8 मध्यस्थता करना

भादूविप्रा और एएसपी के बीच उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद की स्थिति में, मामला सचिव, भादूविप्रा को भेजा जाएगा जो स्वयं एकमात्र मध्यस्थ के रूप में कार्य कर सकता है या एकमात्र मध्यस्थ के रूप में भादूविप्रा का एक अधिकारी नामित कर सकता है, इस तथ्य के बावजूद कि ऐसा अधिकारी सीधे या परोक्ष रूप से ईओआई प्रक्रिया या पार्टियों के बीच हस्ताक्षरित समझौते से जुड़ा हुआ है। बोलीदाता भादूविप्रा के ऐसे अधिकारी की एकमात्र मध्यस्थ के रूप में नियुक्ति पर कोई आपत्ति उठाने का हकदार नहीं होगा।

6.9 अप्रत्याशित घटना

"अप्रत्याशित घटना" का अर्थ एएसपी के नियंत्रण से बाहर की घटना है और इसमें एएसपी शामिल नहीं है और इसमें एएसपी की गलती या लापरवाही शामिल नहीं है और जिसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है। इस तरह के आयोजनों में भादूविप्रा की संप्रभु या संविदात्मक क्षमता, युद्ध या क्रांति, आग, बाढ़, महामारी, संगरोध प्रतिबंध और माल ढुलाई प्रतिबंध शामिल हो सकते हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं। यदि अप्रत्याशित घटना की स्थिति उत्पन्न होती है, तो एएसपी तत्काल लिखित रूप में भादूविप्रा को ऐसी स्थितियों और उसके कारणों के बारे में सूचित करेगा। जब तक अन्यथा लिखित रूप में भादूविप्रा द्वारा निर्देशित नहीं किया जाता है, एएसपी अनुबंध के तहत अपने दायित्वों को यथोचित रूप से व्यावहारिक रूप से निभाना जारी रखेगा और प्रदर्शन के लिए सभी उचित वैकल्पिक साधनों की तलाश करेगा जो अप्रत्याशित घटना से नहीं रोका जा सकता है। भादूविप्रा कम से कम 30 दिनों की लिखित सूचना देकर, एएसपी के साथ अनुबंध को समाप्त कर सकता है, यदि अप्रत्याशित घटना के परिणामस्वरूप, एएसपी 60 दिनों से अधिक की अवधि के लिए सेवाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा करने में असमर्थ है।

अनुलग्नक-I (भाग-ए)

बोलीदाता से अंडरटेकिंग।
कंपनी के लेटर हेड पर।

प्रति,

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण,
महानगर दूर संचार भवन,
जवाहरलाल नेहरू मार्ग,
ओल्ड मिंटो रोड,
नई दिल्ली 110 002.

महोदय,

1. मैंने/हमने भादूविप्रा को विभिन्न आईसीटी आधारित समाधान प्रदान करने के लिए आवेदन सेवा प्रदाताओं के पैनल के लिए रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) संख्या आईटी-5/1/(2)/2021-आईटी दिनांक __जनवरी 2022 को पढ़ा है, और एतद्द्वारा उसमें उल्लिखित सभी नियमों और शर्तों को स्वीकार करते हैं।

2. आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से भुगतान की गई प्रसंस्करण शुल्क और बोली सुरक्षा राशि का विवरण नीचे दिया गया है:-

ए) आरटीजीएस/एनईएफटी नंबर :
बी) दिनांक :
सी) बैंक का नाम/शाखा :
डी) राशि :

3. निर्धारित प्रारूप में कंपनी प्रोफाइल इसके साथ संलग्न है।

आपका विश्वासी,

(निविदाकर्ता के हस्ताक्षर)
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम: ___________________________
पद: ___________________________
मोबाइल/टेलीफोन नंबर: ___________________________
ईमेल: ___________________________

(कंपनी की मुहर)

बोलीदाता के हस्ताक्षर

<u>**कंपनी प्रोफाइल**</u>

क्रमांक	संगठन का नाम: वेबसाइट:
1.	संपर्क व्यक्ति का नाम: नाम: पता: टेलीफोन: फैक्स: मोबाइल: ईमेल:
2.	निगमन का वर्ष:
3.	संगठन का प्रकार: **ए।** पब्लिक सेक्टर/पब्लिक लिमिटेड/प्राइवेट लिमिटेड/साझेदारी/स्वामित्व/सोसाइटी/कोई अन्य **बी।** क्या विदेशी इक्विटी भागीदारी है (कृपया विदेशी इक्विटी प्रतिभागी का नाम और उसका प्रतिशत दें) **सी।** बोर्ड के निदेशकों/मालिकों के नाम **डी।** एनआरआई का नाम और पता, यदि कोई हो
4.	फर्म की श्रेणी: बड़े/मध्यम/लघु पैमाने की इकाई
5.	पंजीकृत कार्यालय का पता:
6.	पते वाले कार्यालयों की संख्या (पंजीकृत कार्यालय को छोड़कर): भारत: ------------------------ विदेश:-------------------------
7.	पंजीकरण का प्रमाणपत्र:
8.	स्थायी खाता संख्या:
9.	जीएसटी पंजीकरण संख्या:
10.	बोलीदाता के बैंक खाते का विवरण नाम : बैंक का नाम : खाता संख्या: आईएँफ़एस कोड :

प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची

क्रमांक	पात्रता मापदंड	योग्यता	समर्थन दस्तावेज	दस्तावेज़ संलग्न हाँ/नहीं
क.	**पात्रता मापदंड**			
1.	भादूविप्रा के साथ बातचीत करने के लिए किसी व्यक्ति को अधिकृत करने वाला पत्र	आवश्यक	प्राधिकार पत्र	
2.	प्रसंस्करण शुल्क	आवश्यक	भुगतान विवरण	
3.	बोली प्रतिभूति	आवश्यक	भुगतान विवरण या छूट का दावा करने के लिए स्व-सत्यापित प्रासंगिक प्रमाण पत्र और दस्तावेजी प्रमाण और एक बोली-सुरक्षित घोषणा (पैरा 4.3.4 देखें)।	
4.	बोलीदाता कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत एक पंजीकृत कंपनी या भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 के तहत पंजीकृत एक साझेदारी फर्म या एक स्वामित्व फर्म होनी चाहिए।	आवश्यक	निगमन/साझेदारी/स्वामित्व प्रमाण पत्र की स्व-सत्यापित प्रति।	
5.	बोलीदाता को सेवा कर विभाग के साथ पंजीकृत होना चाहिए और उसके पास एक वैध पैन और जीएसटी नंबर होना चाहिए।	आवश्यक	जीएसटीआईएन पंजीकरण की स्व-सत्यापित प्रति	
			पैन कार्ड की स्व-सत्यापित प्रति	
6.	बोलीदाता ने पिछले पांच वर्षों में 25 लाख रुपये या उससे	आवश्यक	स्व-सत्यापित परियोजना पूर्णता प्रमाण पत्र	

बोलीदाता के हस्ताक्षर

	अधिक मूल्य के आईसीटी आधारित टर्नकी सॉल्यूशंस/परियोजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा/प्रदान किया होगा (केवल तकनीकी जनशक्ति और/या आईटी हार्डवेयर/उपकरण की आपूर्ति को अनुभव के रूप में नहीं माना जाएगा)		ग्राहक/मालिक से कार्य आदेश/अनुबंध/समझौता की स्व-सत्यापित प्रति प्रस्तुत की जानी है	
			समाधान के विकास/कार्यान्वयन/वितरण के लिए नियोजित प्रौद्योगिकी/उपकरणों का स्व-सत्यापित परियोजना/कार्य-वार विवरण	
7.	आईसीटी आधारित टर्नकी सॉल्यूशंस/परियोजनाओं (तकनीकी जनशक्ति की आपूर्ति और/या आईटी हार्डवेयर/उपकरण आपूर्ति को छोड़कर) में 5 करोड़ रुपये का न्यूनतम औसत वित्तीय कारोबार।	आवश्यक	पिछले 5 वित्तीय वर्ष के लिए सीए द्वारा प्रमाणित	
8.	सकारात्मक निवल मूल्य प्रमाणपत्र	आवश्यक	पिछले 5 वर्षों में से तीन वित्तीय वर्षों में से किसी एक में। सीए द्वारा प्रमाणित प्रति।	
9.	ईओआई जमा करने की तारीख को बोलीदाता को खराब प्रदर्शन/विलंबित वितरण के लिए या किसी अन्य कारण से किसी केंद्र/राज्य सरकार के विभागों, स्वायत्त निकायों, किसी अन्य संगठन द्वारा परियोजनाओं में व्यक्तिगत रूप से या एक संघ के सदस्य के रूप में भाग लेने से काली सूची में नहीं होना चाहिए।/	आवश्यक	एक स्व-घोषणा	
10.	दिल्ली/एनसीआर में कार्यालय का प्रमाण।	आवश्यक	कार्यालय के प्रमाण की प्रति	

11.	भविष्यवादी दृष्टिकोण पर लिखें	आवश्यक	लगभग 250 शब्दों में लिखें	
ख.	**आवश्यक अनुपालन**			
12.	एम-गॉव, ई-गॉव, आईओटी/एम2एम सॉल्यूशंस के संबंध में भारत सरकार/डीओटी/भादूविप्रा द्वारा जारी नियामक और कानूनी दिशानिर्देशों का अनुपालन।	आवश्यक	एक स्व-घोषणा	
13.	यदि भादूविप्रा ऐसा चाहता है तो बोलीदाता को अपनी लागत पर एक पायलट परियोजना शुरू करने के लिए तैयार रहना चाहिए।	आवश्यक	एक स्व-घोषणा	
14.	– बोलीदाता दिवालिया नहीं है, रिसीवरशिप में नहीं है, गैर परिचालित , अदालत या न्यायिक अधिकारी द्वारा इसके मामले प्रशासित नहीं हैं, इसकी व्यावसायिक गतिविधियों को निलंबित नहीं किया गया है और पूर्वगामी कारणों में से किसी के लिए कानूनी कार्यवाही का हिस्सा नहीं है। – बोलीदाता या उसके किसी निदेशक या अधिकारी को उनके पेशेवर आचरण से संबंधित कोई भी आपराधिक अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया गया है या अधिप्राप्ति प्रक्रिया शुरू होने से पहले तीन साल की अवधि के भीतर एक प्रापण अनुबंध में	आवश्यक	एक स्व-घोषणा	

बोलीदाता के हस्ताक्षर

	प्रवेश करने के लिए उनकी योग्यता के रूप में गलत बयान या गलत बयानबाजी करने के लिए, या अन्यथा डिबारमेंट कार्यवाही के अनुसार अयोग्य घोषित नहीं किया गया है – बोलीदाता सत्यनिष्ठा संहिता के लिए स्व-प्रमाणन का अनुपालन करेगा। – बोलीदाता आचार संहिता का पालन करेगा और राज्य के हित और संप्रभुता के खिलाफ काम नहीं करेगा।			

बोलीदाता के हस्ताक्षर

तकनीकी मूल्यांकन मानदंड

क्रमांक	मानदंड	अधिकतम अंक
1.	**बोलीदाता का अनुभव**	**50**
i.	पिछले 5 वर्षों के दौरान ऐप्स/पोर्टल्स/वेबसाइटों/एनालिटिक्स के लिए डिजाइन/विकास/कार्यान्वयन/रखरखाव आदि का पिछला अनुभव (केवल तकनीकी जनशक्ति की आपूर्ति और/या आईटी हार्डवेयर/उपकरण की आपूर्ति को अनुभव नहीं माना जाएगा) (आदेश जिसमें किसी व्यक्तिगत संगठन के लिए एक ही परियोजना का विकास और रखरखाव शामिल है, को मूल्यांकन के लिए एक परियोजना के रूप में माना जाएगा। समय के साथ एक ही परियोजना के रखरखाव / वृद्धि आदेश को मूल्यांकन के लिए एक परियोजना के रूप में माना जाएगा।):	
	a. 25 लाख रुपये से अधिक मूल्य वाली परियोजनाओं की संख्या (प्रत्येक परियोजना के लिए 1 अंक। अतिरिक्त 1 अंक दिया जाएगा यदि परियोजना दूरसंचार/प्रसारण से संबंधित है, अधिकतम 4 परियोजनाओं पर विचार किया जाएगा)	**8**
	b. 50 लाख रुपये से अधिक मूल्य वाली परियोजनाओं की संख्या (प्रत्येक परियोजना के लिए 2 अंक। यदि परियोजना दूरसंचार/प्रसारण से संबंधित है तो अतिरिक्त 1 अंक दिया जाएगा, अधिकतम 5 परियोजनाओं पर विचार किया जाएगा)	**15**
	c. 2 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य वाली परियोजनाओं की संख्या (प्रत्येक परियोजना के लिए 3 अंक, अतिरिक्त 1 अंक दिया जाएगा यदि परियोजना दूरसंचार/प्रसारण से संबंधित है, अधिकतम 3 परियोजनाओं पर विचार किया जाएगा)	**12**
ii.	पिछले 5 वर्षों के दौरान सरकारी क्षेत्र के ऐप्स/पोर्टल/वेबसाइट/एनालिटिक्स के लिए डिजाइन/विकास/कार्यान्वयन/रखरखाव आदि का पिछला अनुभव (केवल तकनीकी जनशक्ति की आपूर्ति और/या आईटी हार्डवेयर/उपकरण की आपूर्ति को अनुभव नहीं माना जाएगा)। आदेश जिसमें किसी व्यक्तिगत संगठन के लिए एक ही परियोजना का विकास और रखरखाव शामिल है, मूल्यांकन के लिए एक परियोजना के रूप में माना जाएगा। समय के साथ एक ही परियोजना के रखरखाव / वृद्धि आदेश को मूल्यांकन के लिए एक परियोजना के रूप में माना जाएगा।): प्रति परियोजना 1 अंक (अधिकतम 5 अंक)	**5**

बोलीदाता के हस्ताक्षर

iii.	पिछले 5 वर्षों के दौरान विज़ुअलाइज़ेशन/चैटबॉट/सर्वे के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस/मशीन लर्निंग/डेटा एनालिटिक्स टूल से जुड़े ऐप्स/पोर्टल/वेबसाइटों के सफल विकास/कार्यान्वयन का पिछला अनुभव: प्रति प्रोजेक्ट 2 अंक (अधिकतम 10 अंक)	**10**
उपरोक्त बिंदुओं i, ii और iii के लिए, केवल एक श्रेणी में व्यक्तिगत परियोजना पर विचार किया जाएगा।		
2.	**जनशक्ति शक्ति** तकनीकी रूप से योग्य पेशेवरों की संख्या: 100 से अधिक पेशेवर – 5 अंक 75-100 पेशेवर - 3 अंक 25-75 पेशेवर - 2 अंक	**5**
3.	**टर्नओवर, लाभप्रदता और नकदी प्रवाह के संदर्भ में बोलीदाता की समग्र शक्ति** पिछले तीन वर्षों का औसत टर्नओवर आंकड़ा: 20 करोड़ से अधिक – 10 अंक 10 - 20 करोड़ के बीच - 6 अंक 5-10 करोड़ के बीच – 3 अंक	**10**
4.	**सीएमएमआई प्रमाणन** सीएमएमआई I और II – 2 अंक सीएमएमआई-III - IV - 3 अंक सीएमएमआई- V - 5 अंक	**5**
5.	**फ्यूचरिस्टिक अप्रोच पर राइट-अप और प्रेजेंटेशन (लगभग 250 शब्दों में)**	**30**
	कुल	**100**

बोलीदाता के हस्ताक्षर

एनआईसीएसआई टियर- II शुल्क

क्रमांक	जनशक्ति श्रेणी	मासिक शुल्क (रुपये में)
1	कार्यक्रम प्रबंधक	1,49,766.00
2	प्रोजेक्ट मैनेजर	99,844.00
3	समाधान वास्तुविद्	68,643.00
4	यूआई डिजाइनर	62,402.00
5	डेवलपर (0-2 वर्ष)	27,457.00
6	डेवलपर (3-5 वर्ष)	39,938.00
7	डेवलपर 5+ वर्ष	68,643.00
8	गुणवत्ता विशेषज्ञ	43,682.00
9	मोबाइल ऐप डेवलपर 0-2 वर्ष	43,682.00
10	मोबाइल ऐप डेवलपर 3-5 साल	56,162.00
1 1	मोबाइल ऐप डेवलपर 5+ वर्ष	81,123.00
12	डेटाबेस एडमिन 3-5 साल	62,402.00
13	डेटाबेस एडमिन 5+ वर्ष	74,883.00
14	सुरक्षा विशेषज्ञ	49,922.00
15	सिस्टम एडमिन	49,922.00
16	टेस्टर 0-2 वर्ष	24,961.00
17	टेस्टर 3-5 वर्ष	37,441.00
18	टेस्टर 5+ वर्ष	62,402.00
19	प्रलेखन विशेषज्ञ	31,201.00
20	व्यापार विश्लेषक 3-5 वर्ष	44,930.00
21	व्यापार विश्लेषक 5+ वर्ष	56,162.00

22	प्रशिक्षण और परिवर्तन प्रबंधन विशेषज्ञ	34,945.00
	गैर-तकनीकी विशेषज्ञ	
1	आवश्यकता एकत्रित करने वाला विशेषज्ञ	34,945.00
2	अनुवाद और सुधार विशेषज्ञ	41,186.00
3	प्रूफ रीडिंग विशेषज्ञ	43,682.00
4	अनुवाद के लिए परियोजना समन्वयक	31,201.00
5	हेल्प डेस्क सेवाएं	24,961.00

बोलीदाता के हस्ताक्षर